

-: आदेश :-

राजस्थान राज्य के शहरी जनसंख्या क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने हेतु राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत पूर्णकालीक चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर निम्नांकित चिकित्सकों को वर्ष 2015-16 हेतु पूर्णतया अनुबन्ध के आधार पर समेकित पारिश्रमिक रूपयें 40,000/- (अक्षरे चालीस हजार मात्र) प्रतिमाह पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है :-

S. No.	Name of Doctor's	Date of Birth	Place of Posting
1	NARENDRA KUMAR DANGI	15-02-1986	UPHC AMBEDKAR NAGAR, FATEHPUR ROAD, SIKAR
2	ANKIT VIJAY	20-12-1990	UPHC RAJASTHAN HOUSING BOARD COLONY, SECTOR NO. 1, NEAR NEW BUS STAND, TONK
3	USHA YADAV	12-09-1988	UPHC ANANDPURI, KOTA
4	ATISHA LILA	08-07-1991	UPHC RICO INDUSTRIAL AREA, SRIGANGANAGAR

उपरोक्त चिकित्सकों को आदेश प्रसारित होने की तिथि से अधिकतम 04 दिवस अर्थात् दिनांक 08.05.15 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

उक्त चिकित्सकों की सेवा शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित गाईडलाईन्स के अनुरूप होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना है।

उपरोक्त चिकित्सकों का मासिक समेकित पारिश्रमिक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की स्वीकृत पी.आई.पी. के कम्पोनेन्ट नं. 4.3.3.1.1 से आहरित किया जावेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एन.एच.एम./प024/2015/

दिनांक - /05/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3) निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक एन.एच.एम. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक एन.एच.एम. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 5) संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री, आर.एम.सी. का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्रों की भी जांच करें।
- 8) संबंधित चिकित्सक को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचनार्थ।
- 9) प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करने का श्रम करें।
- 10) आदेश पत्रावली/ निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।